

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3465-तीन/2014

जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-10-2014	<p>आवेदक की ओर से श्री पी०के० तिवारी अभिभाषक उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया।</p> <p>2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार परगना पोहरी जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 08/2013-14/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 27-9-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ प्रकरण का अवलोकन किया। तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 27-9-2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध अनावेदक नकुला द्वारा धारा 250 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार के समक्ष आवेदक नारायण लाल द्वारा जबाव पेश किया गया है, तहसीलदार द्वारा आवेदक के उक्त जबाव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। बल्कि मोहनिया जाटव को नोटिस जारी कर जबाव हेतु प्रकरण नियत किया गया है। स्पष्ट है कि अभी आवेदक नारायण के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश तहसील न्यायालय के प्रकरण में पारित नहीं किया गया है जिससे उसके हित प्रभावित हों और न ही अधीनस्थ न्यायालय की उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई अनियमितता प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय में उठाये गये आधारों को तहसील</p>	

नरवरप
3-10-14 को
3.50 pm

है आप को
13 10 14
डल म.प्र. कोलिया

arwariy
12

नारायण लाल राजे पुत्र श्री गरीब
दास, आयु- 61 वर्ष, व्यवसाय-
खेती, निवासी- कटरा मोहल्ला,
पोहरी ~~कोहरी~~, जिला शिवपुरी म.प्र.

.....आवेदक

बनाम्

नकुला पुत्र श्री हंसा जाटव,
निवासी- ~~कोहरी~~ ^{पोहरी} परगना, ~~कोहरी~~ पोहरी
जिला शिवपुरीअनावेदक

म.प्र. म.प्र. म.प्र.
12

11/11/14
2014/11/11

2014/11/11

11/11/14